

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

9 अप्रैल, 2025 को अपराह्न 03:30 बजे सीनेट कक्ष में आयोजित सीनेट की विशेष बैठक का कार्यवृत्त

सीनेट की एक विशेष बैठक 9 अप्रैल 2025 को अपराह्न 03:30 बजे सीनेट कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों/विशेष आमंत्रितों के नाम [परिशिष्ट-अ] में दिए गए हैं।

गणपूर्ति न होने के कारण बैठक अपराह्न 03:30 बजे स्थगित कर दी गई तथा अपराह्न 03:40 बजे पुनः शुरू की गई।

मद संख्या 1: प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रम (जीई, प्रथम वर्ष में अनिवार्य) शुरू करने पर विचार करना

सीनेट ने यूजीसीआईसी की प्रोग्रामिंग कोर्स (जीई, प्रथम वर्ष में अनिवार्य) शुरू करने की सिफारिशों पर विचार किया। इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई।

सीनेट ने कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग (सी.एस.ई.) द्वारा एक प्रारंभिक पाठ्यक्रम, अर्थात् "प्रोग्रामिंग का परिचय" पाठ्यक्रम (जीई, प्रथम वर्ष में अनिवार्य) के विचार का स्वागत किया। यह भी निर्णय लिया गया कि यू.जी.सी.आई.सी. के परामर्श से सी.एस.ई. द्वारा इस पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन पर कार्य किया जाएगा। इसकी सूचना सीनेट को दी जाएगी।

मद संख्या 2: विभिन्न यूजी कार्यक्रमों के कार्यक्रम टेम्पलेट्स पर विचार करना

सीनेट ने विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों के कार्यक्रम प्रारूपों पर विचार किया। इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श के बाद, सीनेट ने निम्नलिखित निर्णय लिए:

1. अनुप्रयुक्त यांत्रिकी विभाग

(अ) इंजीनियरी और कम्प्यूटेशनल मैकेनिक्स में बी.टेक

कार्यक्रम के प्रारूप पर चर्चा की गई। सीनेट ने अनुरोध किया कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी विभाग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की समीक्षा कर सकता है:

- I. कुल क्रेडिट को कम करने की संभावना का पता लगाने
- II. छात्रों के लिए लचीलापन बढ़ाने
- III. छात्र प्रतिक्रिया को शामिल करने

2. जैव रासायनिक इंजीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(अ) जैव रासायनिक इंजीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी में बी.टेक

कार्यक्रम टेम्पलेट को, कार्यक्रम टेम्पलेट और पाठ्यक्रम टेम्पलेट/पाठ्यक्रम संख्या में कोई मामूली परिवर्तन, यदि कोई है, के साथ सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया।

3. रासायनिक इंजीनियरी विभाग

(अ) केमिकल इंजीनियरी में बी.टेक

कार्यक्रम टेम्पलेट को, कार्यक्रम टेम्पलेट और पाठ्यक्रम टेम्पलेट/पाठ्यक्रम संख्या में कोई मामूली परिवर्तन, यदि कोई है, के साथ सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया।

4. कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी विभाग

(अ) कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी में बी.टेक

कार्यक्रम के प्रारूप को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। यह सुझाव दिया गया कि कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग छात्रों की प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो कार्यक्रम के प्रारूप में तदनुसार परिवर्तन कर सकता है।

5. सिविल इंजीनियरी विभाग

(अ) सिविल इंजीनियरी में बी.टेक

कार्यक्रम के प्रारूप पर चर्चा की गई। सीनेट ने अनुरोध किया कि सिविल इंजीनियरी विभाग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की समीक्षा कर सकता है:

- I. कुल क्रेडिट को कम करने की संभावना का पता लगाने
- II. छात्रों के लिए लचीलापन बढ़ाने
- III. छात्र प्रतिक्रिया को शामिल करने

6. विद्युत इंजीनियरी विभाग

(अ) विद्युत इंजीनियरी में बी.टेक.

कार्यक्रम के प्रारूप को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई। सीनेट ने कहा कि प्रति सेमेस्टर न्यूनतम क्रेडिट संख्या 12 होनी चाहिए, लेकिन प्रस्तावित कार्यक्रम प्रारूप के 8वें सेमेस्टर में 11 क्रेडिट हैं। सीनेट ने सुझाव दिया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी विभाग कार्यक्रम के प्रारूप में तदनुसार बदलाव कर सकता है।

(आ) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक (पावर और ऑटोमेशन)

कार्यक्रम टेम्पलेट को, कार्यक्रम टेम्पलेट और पाठ्यक्रम टेम्पलेट/पाठ्यक्रम संख्या में कोई मामूली परिवर्तन, यदि कोई है, के साथ सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया।

7. ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरी विभाग

(अ) ऊर्जा इंजीनियरिंग में बी.टेक

कार्यक्रम के प्रारूप पर चर्चा की गई। सीनेट ने अनुरोध किया कि ऊर्जा विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की समीक्षा कर सकता है:

- I. कुल क्रेडिट को कम करने की संभावना का पता लगाने
- II. छात्रों के लिए लचीलापन बढ़ाने
- III. छात्रों की प्रतिक्रिया को शामिल करने

8. पदार्थ विज्ञान और इंजीनियरी विभाग

(अ) पदार्थ इंजीनियरी में बी.टेक

विशेष सीनेट (कार्यवृत्त)

09.04.2025

कार्यक्रम टेम्पलेट को, कार्यक्रम टेम्पलेट और पाठ्यक्रम टेम्पलेट/पाठ्यक्रम संख्या में कोई मामूली परिवर्तन, यदि कोई है, के साथ सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कोई परिवर्तन हुआ है, तो उसे शामिल करते हुए अंतिम कार्यक्रम प्रारूप सीनेट के समक्ष अनुमोदन/अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

समय की कमी के कारण शेष कार्यक्रम प्रारूप और मद संख्या 3 पर बैठक में विचार नहीं किया जा सका।

अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सदस्यों और विशेष आमंत्रितों का धन्यवाद ज्ञापित किया।